छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) संख्या: 46 / 2011

याचिकाकर्ता: लीलाधर प्रसाद चंद्राकर

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

निर्णय एवं आदेश हेतु मामला दिनांक 1 अगस्त, 2011 को सूचीबद्ध करें ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) संख्या: 46 / 2011

याचिकाकर्ता: लीलाधर प्रसाद चंद्राकर

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य के साथ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका

एकल पीठ - माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री एम. के. भादुरी - याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता

श्री वी. वी. मूर्ति, उप महाधिवक्ता राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से

श्री वाए.सी. शर्मा उत्तरवादी क्रमांक 3 के ओर से अधिवक्ता |

(1 अगस्त, 2011 **को घोषित)**

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता, उत्तरवादी क्रमांक 1 को यह निर्देश दिए जाने की प्रार्थना कर रहा है कि सिविल न्यायालय, रायपुर में नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु याचिकाकर्ता के नाम पर विचार किया जाए तथा आगे यह भी प्रार्थना करता है कि उक्त पद पर उत्तरवादी क्रमांक 3 की नियुक्ति, दिनांक 08.09.2010 एवं 29.09.2010 की टिप्पणियों (अनुलग्नक पी/5) के माध्यम से की गई, को रद्द (अभिखंडित) किया जाए।

2.संक्षेप में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार यह है कि उत्तरवादी क्रमांक-1 ने वर्ष 2008 में रायपुर सिविल न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना जारी की। उक्त अधिसूचना के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने अन्य अधिवक्ताओं के साथ उत्तरवादी क्रमांक-2, अर्थात् जिला एवं सत्र न्यायालय, रायपुर के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत किया। उत्तरवादी क्रमांक-2 ने ज्ञापन दिनांक 01.09.2009 द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उसका नाम नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ अनुमोदित किया गया है तथा उसे ₹1000/- की राशि चालान के माध्यम से जमा करने एवं ₹500/- का गैर-न्यायिक स्टाम्प प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, ताकि आवश्यक कागजात अग्रिम कार्यवाही हेतु उत्तरवादी क्रमांक-1 को प्रेषित किए जा सकें। इसके अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने ₹1000/- का चालान एवं ₹500/- का गैर-न्यायिक स्टाम्प जमा किया। इसके पश्चात्, जब याचिकाकर्ता को कोई नियुक्ति आदेश प्राप्त नहीं हुआ, तब उसने उत्तरवादी क्रमांक-1 एवं 2 से संपर्क किया। पुनः दिनांक 19.10.2010 को (अनुलग्नक पी/3), याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक-1 के समक्ष नोटरी का लाइसेंस जारी किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उत्तरवादी क्रमांक-1 ने उत्तरवादी क्रमांक-2 के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उसके दस्तावेज, चालान एवं गैर-न्यायिक स्टाम्प ज्ञापन दिनांक 20.10.2010 (अनुलग्नक पी/4) द्वारा वापस किए जा रहे हैं। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत नोटरी की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण नोटशीट की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया, जिससे उसे यह ज्ञात हुआ कि याचिकाकर्ता के स्थान पर उत्तरवादी क्रमांक-3 को दिनांक 08.09.2010 की टिप्पणियों के आधार पर नियुक्त किया गया है तथा इस आशय का उल्लेख शासकीय फाइल की दिनांक 29.09.2010 की टिप्पणियों में भी किया गया है (अनुलग्नक पी/5), जिसके संबंध में वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3.याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भादुरी ने तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी प्राधिकरणों की कार्यवाही मनमाना, दुर्भावनापूर्ण तथा भेदभावपूर्ण है। संपूर्ण अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में याचिकाकर्ता को नोटरी लाइसेंस प्रदान किए जाने पर विचार किया जा रहा था, किंतु अचानक उत्तरवादी क्रमांक-3 की नियुक्ति कर दी गई, जो कि राजनीतिक प्रेरणा का परिणाम है। राज्य की टिप्पणियों (अनुलग्नक पी/5) के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उत्तरवादी क्रमांक-3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अपूर्ण था तथा उसमें हस्ताक्षर भी नहीं थे। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए विधि विभाग को आपत्ति के बावजूद, विधि विभाग को उत्तरवादी क्रमांक-3 के आवेदन को स्वीकार करने का निर्देश दिया। तथापि, माननीय मुख्यमंत्री की अनुशंसा के आधार पर उत्तरवादी क्रमांक-3 को शासकीय फाइल में दिनांक 29.09.2010 की टिप्पणियों के अनुसार सिविल न्यायालय, रायपुर में नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके फलस्वरूप औपचारिक आदेश पारित किया गया। शासकीय अभिलेखों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उत्तरवादी क्रमांक-3 को दिनांक 29.09.2010 के प्रमाण-पत्र द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए नोटरी लाइसेंस प्रदान किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक-1 की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री मूर्ति ने तर्क प्रस्तुत किया कि जिला न्यायालय, रायपुर द्वारा भेजी गई 124 अधिवक्ताओं की सूची में याचिकाकर्ता का नाम सम्मिलित नहीं था, क्योंकि याचिकाकर्ता का आवेदन निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् उत्तरवादी क्रमांक-1 को प्राप्त हुआ था। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को नोटरी नियुक्त किए जाने के संबंध में अधिवक्ता श्री के. श्रीनिवास द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी। चूँकि याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा, अतः वह नोटरी के रूप में नियुक्ति को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता।

5. “उत्तरवादी क्रमांक-3 की ओर से अधिवक्ता श्री वाई.सी. शर्मा उपस्थित हुए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उत्तरवादी क्रमांक-3 को बाद में नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया। तथापि, उत्तरवादी क्रमांक-3 द्वारा जवाबदावा अथवा प्रति-शपथपत्र के रूप में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. प्रारंभ में, याचिकाकर्ता द्वारा राज्य/उत्तरवादी क्रमांक-1 के विरुद्ध पारित दिनांक 08.09.2010 एवं 29.09.2010 के आदेशों को रद्द (अभिखंडित) किए जाने की मांग की गई थी, जिनके माध्यम से उत्तरवादी क्रमांक-3 को नोटरी के रूप में नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात्, याचिका की लंबित रहने के दौरान, आदेश दिनांक 08.04.2011 द्वारा संशोधन इस आशय से स्वीकार किया गया कि सिविल न्यायालय, रायपुर में नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु याचिकाकर्ता के प्रकरण पर विचार किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. निर्विवाद रूप से, विज्ञापन के अनुसरण में, उत्तरवादी संख्या 2 ने 124 अधिवक्ताओं की एक सूची तैयार की और दिनांक 25.10/24.11.2008 को उनके अभिलेखों के साथ सिविल न्यायालय, रायपुर और तहसीलों में छह रिक्त पदों पर नोटरी नियुक्ति के लिए विचार हेतु कानून एवं विधायी कार्य विभाग के प्रधान सचिव को भेजा। उत्तरवादी संख्या 3 का नाम क्रमांक 42 पर था। इसके पश्चात, याचिकाकर्ता ने आवेदन किया और इसे दिनांक 22.01.2009 को अभिलेख के साथ प्रस्तुत किया, जिसे उत्तरवादी संख्या 2 ने दिनांक 04.02.2009 को उत्तरवादी संख्या 1 को भेज दिया। इसमें यह उल्लेख किया गया कि यद्यपि याचिकाकर्ता का मामला आवेदन समय से देर से जमा होने के कारण खारिज किया जाना चाहिए, तथापि चूँकि निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना था, इसलिए अभिलेख भेजा गया। इसके बाद दिनांक 27.08.2009 के पत्र के माध्यम से उत्तरवादी संख्या 2 को सूचित किया गया कि राज्य सरकार ने धर्मेंद्र राउत, संतोष सिंह ठाकुर, प्रभुलाल नायक, भूपेंद्र शर्मा, लीलाधर चंद्राकर

और कु. हेमलता सिंह को नोटरी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। उन्हें निर्देशित किया गया कि वे 1000/- रुपये शुल्क और 500/- रुपये का गैर-न्यायिक स्टांप जमा करें।

8. मैंने सरकार की मूल कार्यवाही का निरीक्षण किया। अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि श्री के. श्रीनिवास, अधिवक्ता ने शिकायत दर्ज कराई कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति अवैध/अनुपयुक्त है, क्योंकि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 06.09.2008 थी, जबकि याचिकाकर्ता ने 21.01.2009 को आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर विचार नहीं किया जा सकता| उक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता का नाम नियुक्ति आदेश जारी होने से पूर्व ही हटा दिया गया।

9. स्वीकार रूप से, विधि विभाग ने स्मृतिपत्र की जांच के पश्चात क्रमांक 8, 12, 15, 21, 47, 51, 58, 62 एवं 91 पर स्थित 9 अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी के नामों की अनुशंसा की, इस आधार पर कि उक्त 9 अभ्यर्थियों के पास नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक अनिवार्य योग्यता नहीं थी, जैसा कि दिनांक 30.12.2008 की टिप्पणियों से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता का नाम भी बाद में दिनांक 11.02.2009 की टिप्पणियों के माध्यम से अनुशंसा किया गया। जहाँ तक उत्तरवादी क्रमांक-3 का संबंध है, उसका नाम पहले से ही अनुशंसा किये गए अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित था, तथापि, जैसा कि पूर्वोक्त है, प्रारंभ में सरकार द्वारा नोटरी के पद पर उसकी नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया। इसके पश्चात, ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवादी क्रमांक-3 ने दिनांक 31.01.2009 को सीधे माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु विधि विभाग के सचिव को संदर्भित किया गया। हालाँकि, यह टिप्पणी की गई कि दिनांक 31.01.2009 का उक्त आवेदन उत्तरवादी क्रमांक-3 द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था। यह भी अवगत कराया गया कि यद्यपि उत्तरवादी क्रमांक-3 का नाम पैनल सूची में क्रमांक 42 पर था, तथापि परीक्षण के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि उत्तरवादी क्रमांक-3 को छोड़कर अन्य अधिवक्ताओं को नियुक्त किया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जाए। दिनांक 27.07.2010 की टिप्पणियों के अवलोकन से, जो उस समय के प्रधान सचिव, विधि विभाग द्वारा हस्ताक्षरित थीं, यह पाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तरवादी क्रमांक-3 की नियुक्ति को अनुमोदित करने संबंधी एक टिप्पणी अंकित थी।

10. उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आलोक में, यह स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय, रायपुर में नोटरी के पद पर उत्तरवादी क्रमांक-3 की नियुक्ति विधि के अनुरूप नहीं की गई। यद्यपि उत्तरवादी क्रमांक-3 का नाम 142 अधिवक्ताओं की पैनल सूची में सम्मिलित था, तथापि उसे उक्त पैनल में से नियुक्ति हेतु चयनित नहीं किया गया था। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात, माननीय मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, अन्य अधिक योग्य एवं पात्र अभ्यर्थियों के वैध दावों की उपेक्षा करते हुए उत्तरवादी क्रमांक-3 का चयन किया गया।

इस प्रकार की चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया न केवल स्थापित विधिक प्रक्रिया के विपरीत है, अपितु यह समानता एवं निष्पक्षता के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करती है। अतः उत्तरवादी क्रमांक-3 की उक्त नियुक्ति विधि दृष्टि में चलने योग्य नहीं है तथा रद्द किये जाने योग्य है तदनुसार उसे रद्द किया जाता है।

11.जहाँ तक याचिकाकर्ता का संबंध है, उत्तरवादी क्रमांक-3 की नियुक्ति निरस्त किए जाने के फलस्वरूप उत्पन्न उक्त रिक्त पद के विरुद्ध भी याचिकाकर्ता की नियुक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि याचिकाकर्ता का आवेदन विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त हुआ था। परिणामस्वरूप, एक पद रिक्त रह जाता है, जिसे नोटरी अधिनियम, 1952 सहपठित नोटरी नियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, समुचित विज्ञापन जारी कर तथा पात्र अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का उचित अवसर प्रदान करते हुए भरा जाना आवश्यक है।

12, उपर्युक्त दृष्टिगत, वर्तमान रिट याचिका को ऊपर उल्लेखित सीमा तक स्वीकार किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. वाद - व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं |

सही

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By – Adv. Shikha Kaushik